भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3231
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की योजना

3231. श्री कृपानाथ मल्लाह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के आरंभ से अब तक स्थापित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या कितनी है और बलात्कार और पोक्सो मामलों के निपटान की दर पर नियमित न्यायालयों की तुलना में उनका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इन न्यायालयों की स्थापना और संचालन में सहायता करने के लिए कौन से निधियन तंत्र हैं और इस संदर्भ में निर्भया निधि का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रिट (आपराधिक) संख्या 01/2019 में दिए गए आदेशों के अनुसरण में अनन्य पोस्को (ई-पोस्को) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु केंद्रीकृत प्रायोजित योजना अक्टूबर 2019 में प्रारंभ की गई । ये न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम, 2012 के तहत अपराधों और बलात्कार संबंधी लंबित प्रकरणों के समयबद्ध विचारण और निपटान के लिए समर्पित हैं। 30 मार्च, 2026 तक नवीनतम विस्तार के साथ, 790 न्यायालयों की स्थापना हेतु अब तक इस योजना का दो बार विस्तार किया गया है । योजना के अंतर्गत 1952.23 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसमें केंद्र राज्य अंश (सीएसएस) प्रतिमान पर 1207.24 करोड़ रुपये निर्भया निधि से केंद्रीय अंश के तौर पर व्यय किया जाएगा ।

30.06.2025 को 29 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पोस्को (ई-पोस्को) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान न्यायालय प्रकार्यात्मक हैं, योजना की शुरुआत से इन न्यायालयों ने 3,34,213 वादों को निष्पादित किया है। योजना की शुरुआत से निष्पादित वादों की संख्या सहित प्रकार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों का राज्यवार / राज्यक्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है ।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों में बलात्संग और पोस्को अधिनियम के वादों का निस्तारण दर नियमित न्यायालयों की तुलना में काफी अधिक प्रतीत होती है। जहाँ नियमित न्यायालयों में बलात्संग और पोस्को अधिनियम के वादों के निस्तारण की औसत दर प्रतिमाह प्रति न्यायालय 3.26 वाद आँकी गई है, वहीं त्वरित निपटान विशेष न्यायालय प्रतिमाह प्रति न्यायालय औसतन 9.51 वादों का निस्तारण करती हैं। इससे त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के माध्यम से समस्या निपटान में संवर्धित दक्षता का संकेत मिलता है।

(ख) : 16 दिसंबर,2012 के निर्भया प्रकरण के अनुवर्ती, सरकार ने एक समर्पित निधि गठित की है जिसका उपयोग महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। यह एक अव्यपगत निधि कोष है, जिसका प्रशासन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया निधि के अंतर्गत वित्तपोषित की जाने वाली प्रस्तावों एवं योजनाओं के मूल्यांकन/अनुशंसा हेतु नोडल मंत्रालय है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यह भी दायित्व है कि वह संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ मिलकर स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी करे ।

निर्भया कोष के अंतर्गत त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है तथा इन्हें परिचालित किया गया है । विभाग ने न्यायालयों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु, इसकी स्थापना के पश्चात् से अब तक राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को 1034.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। एक न्यायिक अधिकारी के साथ में सात सहायक कर्मचारीवृंद के वेतन का भुगतान करने और दैनिक खर्चों के नम्य अनुदान हेतु केंद्र राज्य अंश प्रतिमान (केंद्रीय अंश : राज्य अंश :: 60:40, 90:10) पर निधि जारी की जाती है। संबंधित राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में सक्रिय न्यायालयों की संख्या के आधार पर निर्धारित, प्रतिपूर्ति आधार पर राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जाती हैं। योजना के आरंभ से अब तक जारी की गई निधि के केंद्रीय अंश का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

*****

उपाबंध - 1

योजना के आरम्भ होने के बाद से संचयी निपटान के साथ अनन्य पोस्को (ई-पोस्को) न्यायालयों सहित प्रकार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा (30.06.2025 को यथाविद्यमान)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	प्रकार्यात्मक न्यायालय		योजना के आरम्भ होने के बाद से संचयी निपटान		
		ई- पोस्को सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालय	ई-पोस्को	एफटीएससीएस	ई-पोस्को	योग
1	आन्ध्र प्रदेश	16	16	0	7487	7487
2	असम	17	17	0	8943	8943
3	बिहार	46	46	0	17232	17232
4	चंडीगढ़	1	0	374	0	374
5	छत्तीसगढ़	15	11	1289	5139	6428
6	दिल्ली	16	11	760	1958	2718
7	गोवा	1	0	82	34	116
8	गुजरात	35	24	3389	13227	16616
9	हरियाणा	18	14	2018	6069	8087
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	600	807	1407
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	144	167	311
12	कर्नाटक	30	17	5377	8654	14031
13	केरल	55	14	18256	7946	26202
14	मध्य प्रदेश	67	56	4920	27193	32113
15	महाराष्ट्र	2	1	8727	12017	20744
16	मणिपुर	2	0	194	0	194
17	मेघालय	5	5	0	733	733
18	मिजोरम	3	1	199	70	269
19	नागालैंड	1	0	65	3	68
20	ओडिशा	44	23	7218	13036	20254
21	पुदुचेरी	1	1	0	162	162
22	पंजाब	12	3	2785	2480	5265
23	राजस्थान	45	30	5830	13602	19432
24	तमिलनाडु	14	14	0	10199	10199
25	तेलंगाना	36	0	8648	2731	11379
26	त्रिपुरा	3	1	252	237	489
27	उत्तराखंड	4	0	1930	0	1930
28	उत्तर प्रदेश	74		43558	47901	91459
29	पश्चिमी बंगाल	8	8	0	457	457
30	झारखंड*	0	0	2777	6337	9114
31	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह**	0	0	0	0	0
32	अरूणाचल प्रदेश***	0	0	0	0	0
	योग	**725**	**392**	**119392**	**214821**	**334213**

टिप्पण : योजना की शुरूआत में, प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित प्रकरणों के मानक के आधार पर देशभर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के आबंटन किया गया था, इसका अभिप्राय यह है कि एक त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित प्रकरणों के लिए की जाएगी। इस आधार पर इस योजना में शामिल होने के लिए सिर्फ इकतीस राज्य / संघ राज्यक्षेत्र पात्र थे।

* तारीख 07/07/2025 के पत्र के तहत झारखंड सरकार ने त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है। हालांकि, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना के प्रारंभ से लेकर मई 2025 तक 9,114 वादों का संचयी निपटान, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना के अंतर्गत प्रतिवेदित किये गए संचयी निपटान आंकड़ों में सम्मिलित है।

**अंदमान और निकोबार द्वीप ने योजना में शामिल होने की सहमति प्रदान की है, परंतु किसी न्यायालय का संक्रियात्मीकरण होना शेष है।

***बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के लंबित प्रकरणों की संख्या काफी न्यून होने को उद्धृत करते हुए अरूणाचल प्रदेश योजना से अलग हो गया है।

उपाबंध – 2

योजना के आरंभ से 31.07.2025 तक जारी निधियों के केन्द्रीय अंश का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्योरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जारी निधियों के केन्द्रीय अंश (करोड़ रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.80
2.	असम	31.34
3.	बिहार	70.67
4.	चंडीगढ़	0.19
5.	छत्तीसगढ़	21.90
6.	दिल्ली	13.27
7.	गोवा	1.41
8.	गुजरात	41.24
9.	हरियाणा	26.39
10.	हिमाचल प्रदेश	9.08
11.	जम्मू-कश्मीर	8.58
12.	झारखंड*	20.49
13.	कर्नाटक	36.11
14.	केरल	54.78
15.	मध्य प्रदेश	105.97
16.	महाराष्ट्र	47.60
17.	मणिपुर	3.86
18.	मेघालय	7.14
19.	मिजोरम	7.32
20.	नागालैंड	1.76
21.	ओडिशा	54.93
22.	पुदुचेरी	0.56
23.	पंजाब	16.90
24.	राजस्थान	95.25
25.	तमिलनाडु	28.92
26.	तेलंगाना	29.14
27.	त्रिपुरा	5.28
28.	उत्तर प्रदेश	281.40
29.	उत्तराखंड	9.10
30.	पश्चिमी बंगाली	1.82
31.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह**	-
32.	अरूणाचल प्रदेश***	-
	राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई कुल राशि	**1034.19**
	तृतीय पक्ष मूल्यांकन लागत	**0.37**
	महायोग	**1034.56**

* तारीख 07/07/2025 के पत्र के तहत झारखंड सरकार ने त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है।
**अंदमान और निकोबार द्वीप ने योजना में शामिल होने की सहमति प्रदान की है, परंतु किसी न्यायालय का संक्रियात्मीकरण होना शेष है।
***बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के लंबित वादों की संख्या काफी न्यून होने को उद्धृत करते हुए अरूणाचल प्रदेश योजना से अलग हो गया है।

****